**उत्तर प्रदेश शासन**
**आवास अनुभाग – 3**
**संख्या – 1569/9–आ–3–2000–02 एलयूसी/99**
**लखनऊ : दिनांक 22 मई, 2000**

## अधिसूचना

चूँकि मथुरा की महायोजना में नीचे दी अनुसूची में यथा वर्णित संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां और सुझाव प्राप्त करने की एक सूचना समाचार पत्र ''दैनिक आज'' व ''दैनिक जागरण'' दिनांक 16–11–1999 में प्रकाशित की गयी थी, और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर राज्य सरकार द्वारा कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुये थे।

अतएवं, अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन अधिनियम, 1974) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या –30 सन् 1974 द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–11 सन् 1973 की धारा –13 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल मथुरा की महायोजना में नीचे दी गयी अनुसूची में यथा वर्णित निम्नलिखित संशोधन करते है :–

स्थान व जिले का नाम महायोजना में में भू–उपयोग प्रस्तावित भू–उपयोग

वृन्दावन से दिल्ली रोड तक जोड़ने (कृषि) ''आश्रम मठ एवं धार्मिक स्थल''

वाले वृन्दावन छटीकरा मार्ग के मध्य (निम्नलिखित जोनिंग रेगुलेशन से दोनों और 300 मीटर की गहराई तथा विकास मानक/नियंत्रण व तक के क्षेत्र तथा वृन्दावन छटीकरा मार्ग शर्तों के साथ)

से दक्षिण की ओर नगला बुर्जा को जाने वाले मार्ग से मथुरा–वृन्दावन मार्ग तक इस मार्ग (नगला मार्ग) के मध्य से दोनों ओर 250 मीटर की गहराई तक के कृषि भू–उपयोग के क्षेत्र

**जोनिंग रेगुलेशन्स :**

**(क) अनुमन्य उपयोग :**

पूजा स्थल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक भवन, गौशाला, आश्रम, मठ तथा तत्सम्बन्धी धार्मिक एवं आवासीय उपयोग।

**(ख) प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति से अनुमन्य उपयोग :**

स्थानीय आवश्यकता की दुकानें, निजी आवास, सामुदायिक सुविधायें, धर्मशाला, धार्मिक सांस्कृतिक उपयोग के अनुषांगिक उपयोग जो क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हो।

**(ग) निर्षिद्ध उपयोग :**

होटल, समूह, आवास, आवासीय कालोनी, सिनेमा थियेटर, औद्योगिक उपयोग, पशु वधशाला तथा ऐसे उपयोग जो क्षेत्र के धार्मिक एवं सांस्कृतिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव डाल सकते है।

भू उपयोग परिवर्तन के साथ–साथ किये जाने वाले विकास के संबंध में निम्न विकास नियंत्रण भी प्रभावी होंगेः–

1. छटीकरा मार्ग के दोनों और मार्ग के 30 मीटर मार्गाधिकार हेतु भूमि छोड़ने के पश्चात् 9 मीटर का सैट बैंक भवनों के निर्माण हेतु छोड़ना आवश्यक होगा। सेट बैंक के 3 मीटर अग्र भाग में वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा।

2. केवल ऐसे निर्माण की अनुमति होगी, जिसकी वास्तुकला मथुरा–वृन्दावन के सांस्कृतिक/धार्मिक स्वरूप के अनुकूल हो। इस वास्तुकला नियंत्रण हेतु एक समिति का गठन प्राधिकरण द्वारा शासन के करवाया जायेगा, जिसमें 3 सदस्य होंगे। इसमें से 2 वास्तुविद तथा एक इनटेक का प्रतिनिधि होगा।

3. दो मंजिले (7.5 मीटर) से अधिक ऊँचाई के भवन अनुमन्य नहीं होंगे परन्तु धार्मिक भवनों के शिखर/गुम्बद पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

4. भू–खण्ड का अधिकतम आच्छादन 33 प्रतिशत तथा एफ0ए0आर0 66 अनुमन्य होगा।

5. भू–गेह का निर्माण भू–आच्छादन के अन्तर्गत किया जा सकता है परन्तु इसकी गणना एफ0ए0आर0 में होगी।

6. व्यक्तिगत रूप से मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा।

आज्ञा से,

**अतुल कुमार गुप्ता**
सचिव